दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 21 मई, 2021
निर्णीत : 27 मई, 2021

ज़मानत अर्ज़ी 1215/2021

राजेन्द्र कुमार ....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री प्रिया कुमार तथा श्री शुभम नागपाल, अधिवक्तागण।

बनाम

एनसीबी ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सुभाष बंसल, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री शाश्वत बंसल, अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (संक्षेप में 'एनसीबी') द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'एनडीपीएस अधिनियम') की धारा

8/21/29 के तहत अपराध संख्या-VIII/07/DZU/2020 में की गई शिकायत में नियमित ज़मानत की मांग की है।

2. जब दिनांक 12 अप्रैल, 2021 को इस याचिका में नोटिस जारी किया गया था, तो शुरूआत में ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया था कि अंतरिम ज़मानत हेतु प्रार्थना एक टंकण की त्रुटि है एवं इस याचिका को नियमित ज़मानत हेतु आवेदन माना जाए जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि याचिकाकर्ता केवल वाहन का चालक था और उसका लेन-देन से या उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं था जो लेनदेन में शामिल था। याचिकाकर्ता से किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता अपराध में शामिल नहीं था, इस तथ्य से स्पष्ट है कि मुख्य आरोपी ने गिरफ्तारी के समय भागने की कोशिश की लेकिन याचिकाकर्ता ने भागने की कोशिश नहीं की।

याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही कोई पूर्व दोषसिद्धि है। याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पैकेट में क्या था और किस उद्देश्य से नकदी सौंपी जा रही थी। यहां तक कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार वाहन के मालिक के पूछने पर याचिकाकर्ता ने नकदी का पैकेट दे दिया था जो कार में पड़ा था। तथाकथित अभियोजन पक्ष के गवाहों का संस्करण कि याचिकाकर्ता ने अपनी जेब से नकदी दी, अविश्वसनीय है। धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होती है क्योंकि यह मानने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता अपराध का दोषी है। आम गवाह दीपक दुग्गल के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बयान दिनांक 15 जून, 2020 को दर्ज किया गया था जबकि कथित बरामदगी दिनांक 29 जनवरी, 2020 को की गई थी। इसके अतिरिक्त इस गवाह के बयान पर कोई निर्भरता इसलिए भी नहीं जताई जा सकती है क्योंकि स्वीकृत रूप से सर्दियों की रात

10.30 बजे के बाद गिरफ्तारी की गई थी तथा उतनी दूरी से आम गवाह को कम दृश्यता के कारण लेनदेन दिखाई नहीं दिया होगा। MANU/DE/0819/2005 *कस्सू राम बनाम राज्य; मो. जुबेर बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली),* दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 को निर्णीत ज़मानत आवेदन. 3821/2006; 130 (2006) DLT 114 *करण सिंह बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली);* MANU/DE/0581/2009 *दिलबाग सिंह बनाम डीआरआई*; *रवि नादर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य,* दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 को निर्णीत MCRC No. 6299/2018 के रूप में प्रकाशित निर्णयों पर यह प्रतिवाद करने के लिए भरोसा जताया गया है कि याचिकाकर्ता वाहन का चालक मात्र है तथा उससे किसी भी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है, उसे कथित रूप से स्वापक औषधियां रखने के अपराध में शामिल नहीं माना जा सकता है।

4. ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए, प्रतिवादी/एनसीबी के विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता अपराध

में एक सह-साजिशकर्ता तथा सक्रिय भागीदार है क्योंकि वह मुख्य आरोपी के साथ कार में घटना-स्थल पर आया था जिसने स्वापक औषधियां खरीदी थीं और पैसे याचिकाकर्ता की जेब में थे जो मुख्य आरोपी के निर्देश पर याचिकाकर्ता द्वारा निकोलस को दिए गए थे। इस संबंध में छापेमारी दल के सदस्यों के अतिरिक्त, आम गवाह दीपक दुग्गल का बयान दर्ज किया गया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी के साथ आया था और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उसे विनिषिद्ध पदार्थ की खरीद की कोई जानकारी नहीं थी। अहम गवाहों की गवाही होना अभी शेष है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई ज़मानत प्रदान नहीं की जाए।

5. उपरोक्त उल्लिखित शिकायत एनसीबी द्वारा सुखविंदर सिंह, राजेंद्र कुमार जो कि वर्तमान याचिकाकर्ता है तथा एक निकोलस ज़ुबे उकेग्बू को तीन आरोपियों के रूप में अभियोजित करते हुए दायर की गई थी। प्रत्यर्थी/एनसीबी का मामला यह है कि दिनांक 29 जनवरी, 2020

को आसूचना अधिकारी को एक गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति बिग पार्क, ग्राम अमराही, सेक्टर-19, द्वारका, दिल्ली के पास पंजीकरण संख्या एचआर-24टी-7247 वाली स्विफ्ट डिज़ायर कार में एक नाइजीरिआई से हेरोइन खरीदने के लिए आएंगे। यह सूचित किया गया कि उक्त दो व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं और उनके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया जा सकता है। उक्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज किया गया और अधीक्षक, एनसीबी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने इस पर विचार करने पर इसको जाँच अधिकारी को सौंपी, जिन्होंनें एक दल का गठन किया और छापा मारा। छापा मारने वाला दल एनसीबी की मुहर तथा लेखन सामग्री, डीडी किट, तौल मशीन आदि जैसी अन्य सामग्री के साथ एनसीबी के कार्यालय से लगभग 9.00 बजे निकले तथा 10.00 बजे द्वारका पहुंचे। जांच अधिकारी के अनुरोध पर, दीपक दुग्गल एक स्वतंत्र गवाह के रूप में दल में शामिल हुए। गुप्त सूचना में दिए गए

कार नंबर में दो व्यक्तियों को देखा गया था| इसके तुरंत बाद एक अफ़्रीकी व्यक्ति पंजीकरण संख्या डीएल-11एसयू-1488 वाली एक गहरे लाल रंग की स्कूटी पर मौके पर आया, जिसके बाद कार में सवार व्यक्ति कार से बाहर आया और अफ़्रीकी व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद कार चलाने वाले व्यक्ति ने अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और अफ़्रीकी व्यक्ति को दिया तथा एक पॉलिथीन का पैकेट उक्त अफ़्रीकी व्यक्ति द्वारा कार में बैठे दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया। अफ़्रीकी व्यक्ति और कार में बैठे व्यक्ति को एनसीबी दल ने घेर लिया और उनके समक्ष गुप्त सूचना का खुलासा किया गया। स्कूटी पर आए व्यक्ति ने जांच अधिकारी को काट कर घायल करके भागने की कोशिश की, हालांकि, उसे दल के अन्य सदस्यों की सहायता से काबू कर लिया गया था। पूछताछ करने पर कार में बैठने वालों का नाम एवं पहचान कार चालक राजेंद्र कुमार, यानी याचिकाकर्ता और कार में बैठे अन्य व्यक्ति सुखविंदर सिंह और

स्कूटी पर आए निकोलस के रूप में पाई गई। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस दिया गया था तथा उन तीनों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया गया था, जिसके बाद निकोलस की जामा तलाशी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 1.40 लाख रुपये राशि के नोटों के एक बंडल की बरामदगी हुई थी, जिसे एक लिफाफे में रखा गया था। इसके अतिरिक्त एक आईटेल मोबाइल फोन भी बरामद किया गया जिसे भी कब्जे में ले लिया गया। याचिकाकर्ता की भी जामा तलाशी ली गई थी, हालांकि कुछ भी आपराधिक बरामद नहीं किया गया था। सुखविंदर सिंह की जामा तलाशी पर, उसके कोट से एक पॉलीथिन पैकेट बरामद किया गया, जिसमें सफेद रंग के बेलनाकार कैप्सूल पदार्थ और इसी तरह के बेलनाकार कैप्सूल का एक कटा हुआ टुकड़ा था। पूछने पर सुखविंदर सिंह ने बताया कि बरामद पदार्थ हेरोइन था, जो उसे निकोलस ने दिया था। इसी की एक छोटी सी मात्रा का ड्रगफील्ड टेस्ट किट की मदद से किये गए परीक्षण में

हेरोइन के लिए सकारात्मक परिणाम आए। इसके बाद शेष कैप्सूल की भी अलग से जांच की गई और उन सभी के हेरोइन होने के सकारात्मक परिणाम मिले । बरामद पदार्थ का कुल वज़न 270 ग्राम पाया गया। चूंकि सभी कैप्सूल हेरोइन होने के लिए सकारात्मक पाए गए, उन्हें कुचल दिया गया और पॉलिथीन में रखा गया तथा प्रत्येक में से पांच ग्राम के दो नमूने अलग किए गए और उन्हें ए-1 और ए-2 के रूप में चिह्नित किया गया और शेष पदार्थ को धागे से बांधा गया और पैक कर के पुलिंदा बनाया गया। स्विफ्ट डिज़ायर कार की तलाशी ली गई और उसमें सुखविंदर सिंह के नाम से जारी कार का बीमा पाया गया, याचिकाकर्ता का ड्राइविंग लाइसेंस और सुखविंदर सिंह की बैंक के बचत खाते की पासबुक और चेक बुक भी मिली। सुखविंदर सिंह का बयान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया था कि वह दिल्ली में अफ़्रीकी नागरिकों से हेरोइन खरीदता था और सिरसा क्षेत्र में बेचता था। वह अपनी कार

से दिल्ली आया था और दिल्ली पहुंचने के बाद उसने निकोलस को फोन किया जिसने उसे हेरोइन के साथ मौके पर आने के लिए कहा। जब निकोलस अपनी स्कूटी पर मौके पर पहुंचा तो उसने हेरोइन वाली पॉलिथीन सुखविंदर सिंह को सौंप दी और राजेंद्र कुमार ने उक्त अभियुक्त को भुगतान किया।

6. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कार सुखविंदर सिंह की थी, हेरोइन को भी पहले निकोलस के कब्जे में और फिर सुखविंदर सिंह के कब्जे में पाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार भी, याचिकाकर्ता वाहन का चालक है। याचिकाकर्ता को एक सह-साजिशकर्ता के दायरे में लाने के लिए, आम गवाह के बयान के अनुसार भी, उसके लिए जिम्मेदार एकमात्र भूमिका यह है कि सुखविंदर सिंह के कहने पर उसने अपनी जेब से पैसे सौंप दिए। *दिलबाग सिंह* (सुप्रा) में यह न्यायालय उस मामले से निपट रही थी जहां विनिषिद्ध पदार्थ को टाटा इंडिका कार में स्थानांतरित कर दिया गया था जो मौके पर

पहुंची थी और याचिकाकर्ता द्वारा उसे चलाया जा रहा था। उस उक्त टाटा इंडिका कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति नामतः कौसी नुगेसन विलियम्स था, जिसे उस स्थान पर पार्क किया गया था, जबकि दूसरी कार से विनिषिद्ध पदार्थ स्थानांतरित किया गया था, जो मौके पर पहुंची थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त मामले में दिलबाग सिंह केवल वाहन चला रहा था, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सचेत रूप से उसके कब्ज़े में विनिषिद्ध पदार्थ का होना नहीं माना जा सकता क्योंकि उक्त मामले में दूसरी कार ओपल कॉर्सा में बैठे व्यक्तियों ने उस टाटा इंडिका कार की पिछली सीट पर काले रंग के दो पॉलीफोन थैले रखे थे जो दिलबाग सिंह द्वारा चलाईं जा रही थी।

7. वर्तमान मामले में भी आम गवाह और एनसीबी के गवाहों के बयान को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता ने केवल अपनी जेब से पैसे निकल कर दिए। याचिकाकर्ता को न तो विनिषिद्ध पदार्थ मिला और

न ही विनिषिद्ध पदार्थ उसे सौंपा गया। सह-अभियुक्त सुखविंदर सिंह को विनिषिद्ध पदार्थ सौंपे जाने पर उसने याचिकाकर्ता को पैसे देने को कहा जो उसने दिए थे। किसी भी समय याचिकाकर्ता के सचेत कब्जे में विनिषिद्ध पदार्थ नहीं था। यहां तक कि साजिश के आरोप के संबंध में अभियोजन पक्ष को यह दर्शाने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को यह ज्ञान था कि पैसे को विनिषिद्ध पदार्थ खरीदने के उद्देश्य से सौंपा जा रहा था। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं है कि पैसा याचिकाकर्ता का था और अभियोजन पक्ष का मामला यह भी है कि याचिकाकर्ता केवल सुखविंदर सिंह की कार का चालक मात्र था। यह इस प्रकार उसके कर्तव्य के निर्वहन में है जब नियोक्ता ने याचिकाकर्ता को अपनी जेब में रखे पैसे देने के लिए कहा तो उसने भुगतान अफ़्रीकी नागरिक को किया और वह भी सुखविंदर सिंह को विनिषिद्ध पदार्थ दिए जाने से पहले। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं। याचिकाकर्ता दिनांक

30 जनवरी, 2020 से हिरासत में है और विचारण में और समय लगने की संभावना है। याचिकाकर्ता की कोई अन्य संलिप्तियां नहीं हैं।

8. याचिकाकर्ता को सौंपी गई भूमिका और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की कोई पूर्व संलिप्तियां नहीं हैं तथा विचारण में कुछ समय लगने की संभावना है, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को नियमित ज़मानत प्रदान करना उचित समझता है। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को उसके द्वारा 50,000/- की राशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ विद्वान विचारण न्यायालय/ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन समान राशि के प्रतिभू प्रस्तुत करने पर तथा इसके अतिरिक्त इस शर्त के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए कि याचिकाकर्ता संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और मोबाइल फोन नंबर और/या आवासीय पते में परिवर्तन की स्थिति में, एक शपथपत्र के माध्यम से संबंधित न्यायालय को सूचित करेगा।

9. याचिका का निपटान किया जाता है।

10. न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया जाए।

न्या. मुक्ता गुप्ता

27 मई, 2021

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|